न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु.नं. 5/16 तारीख रजू 02-3-16

उनवान – सी.ओ.साहब बनाम राजेन्द्र वगै.

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से Adv. देवेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शपथ पत्र व दस्तावेज जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब किया जावे। पत्रावली दि. 10.3.16 को पेश हो।

5 32-38 / 2-3-16

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

10.3.16
प्रार्थी वकील उप.। अप्रार्थी नं. 6,7 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी नं. 2 ता 5 की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता Adv. ने वकालतनामा पेश किया तथा यह भी कथन किया कि अप्रार्थी नं. 1 मिलिट्री में नौकरी करता है इसलिए तलबी पुनः करवाई जानी चाहिए। वकील उभयपक्ष को इस तलबी एवं अंतरिम आदेश निषेधाज्ञा पर सुना गया। प्रार्थी वकील ने अंतरिम आदेश दिये जाने का कथन किया प्रार्थी का हिस्सा 1/2 के खातेदार की कब्जा काश्त में परेशानी गैरसायलान द्वारा की जा रही है वकील अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि गैरसायलान भी बहिस्सा 1/2 के खातेदार व काश्तकार है सह खातेदारान को पाबंद नहीं किया जा सकता है वकील उभयपक्ष

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी
जगदीश आर्य
(आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 (टी0आई0 –) 01/17
तारीख रजू – 10-1-17

उनवान

श्रीमति समयकौर पत्नी स्व0 शहीद राजेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी तिघरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली
-- प्रार्थीया

विरूद्ध

1. सीओ साहब पुत्र मोहरसिंह
2. नरेश पुत्र मोहरसिंह
3. भीम पुत्र मोहरसिंह
4. श्रीमति रत्तो देवी पत्नी स्व0 मोहरसिंह

समस्त जाति गुर्जर निवासी तिघरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली
–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति
श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट – पक्ष प्रार्थीया
श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट – पक्ष अप्रार्थीया

मुकदमा नं0 (टी0आई0 –) 5/16
तारीख रजू – 2-3-16

उनवान

1.सी0ओ0 साहब पुत्र मोहरसिंह
2.नरेश पुत्र मोहरसिंह
3.भीम पुत्र मोहरसिंह
4.श्रीमत रत्तो देवी पत्नी मोहरसिंह
समस्त जाति गुर्जर निवासी तिघरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली
--प्रार्थीगण / सायलान

बनाम

1.राजेन्द्र पुत्र कलुवा
2.नरसी पुत्र कलुवा
3.हरकेश पुत्र कलुवा
4.श्रीमति हन्सो पत्नी स्वर्गीय कलुवा

Scanned by CamScanner

5. श्रीमति समयकौर पत्नी स्व0 शहीद राजेन्द्रसिंह

समस्त जाति गुर्जर निवासी तिघरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली

6.उपपंजीयक उपतहसील बालघाट तहसील टोडाभीम जिला करौली

7.तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

--अप्रार्थीगण / गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति

श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट -- पक्ष प्रार्थीगण

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट -- पक्ष अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :-- 29.01.2018

दोनो प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे विवादित भूमि खसरा नम्बरान व पक्षकारान समान होने के कारण दोनो उपरोक्त प्रार्थना पत्रो का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

पत्रावली उनवानी समयकौर बनाम सी0ओ0 आदि मुकदमा नं0 (टी0आई0) 01/17 मे प्रार्थीया ने एक प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि भूमि खसरा नं0 42 रकवा 0.35 हेक्टयर, 43 रकवा 0.24 हेक्टयर स्थित ग्राम तिघरिया तहसील टोडाभीम मे प्रार्थीया हिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार है तथा हाल रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी मे इसी प्रकार खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीया ने इस भूमि को पूर्व खातेदार राजेन्द्र, नरसी, प्रेम, हरकेश पुत्र कलुवा, हंसो बेबा कलुवा, द्रोपती पुत्री कलुवा से जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र खरीद किया है तथा इस विकयपत्र के आधार पर प्रार्थीगया के नाम नामान्तरण खुलकर खातेदारी हो गई है। इस भूमि मे बोरिंग है उसमे भी प्रार्थीया हिस्सा 1/2 की खातेदार है। प्रार्थीया के हिस्से 1/2 से अप्रार्थीगण सी0ओ0 आदि का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। तथा रिलिफ चाही है कि अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीया की उक्त भूमि के हिस्सा 1/2 मे तथा उसमे स्थित बोरिंग मे हिस्सा 1/2 मे उपयोग उपभेग मे रूकावट पैदा नही करें।

यह प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण की तरफ से उनके वकील उपस्थित हुये तथा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थनापत्र मे सभी तथ्य प्रार्थीया ने गलत दर्ज किये है तथा कथन किया कि राजेन्द्र वगैरहा ने अपने हिस्से की आराजीयात को भाई बन्धु होने के कारण काफी बर्षो पूर्व बेच दिया था तथा सम्पूर्ण आराजी पर गैरसायलान का कब्जा है तथा राजेन्द्र आदि ने आनी खातेदारी का नाजायज फायदा उठाकर सायला को रजिस्ट्री करा दी थी तथा पूर्व से ही बोरिंग करा रखी है जिससे सायला का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है इसलिये प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी सी0ओ0 साहब आदि बनाम राजेन्द्र आदि मुकदमा नं0 (टी0आई0) 5/16 मे प्रार्थीगण सायलान ने कथन किया कि भूमि हाल खसरा नं0 42 रकवा 0.35 हेक्टयर, 43 रकवा 0.24 हेक्टयर स्थित ग्राम तिघरिया तहसील टोडाभीम मे खातेदारी हिस्सा 1/2 की सायलान के नाम है तथा हिस्सा 1/2 की गैरसायलान के नाम है तथा सायलान ने काफी धन लगाकर जमीन को समतल किया है तथा उसमे सिचाई हेतु एक बोरिंग लगा ली है, बोरिंग मे मीठा पानी है इसलिये गैरसायलान की नियत खरीब हो गई है

उपनेता कमला

Scanned by CamScanner

और वे बोरिंग की जमीन को हडपने को आमादा है तथा रिलिफ चाही है कि गैरसायल नं0 1 ता 5 को ताफैसला दावा उन्हे उक्त भूमि के कब्जे काश्त व बोरिंग मे उपयोग उपभोग मे कोई बाधा उत्पन्न नही करे। रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

यह प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये। अप्रार्थी नं0 2 ता 5 की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया और कथन किया कि उक्त भूमि के हिस्सा 1/2 की अप्रार्थी नं0 5 समयकौश्र पत्नी स्व0 शहीद राजेन्द्र हिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार है तथा हिस्सा 1/2 की खातेदारी दर्ज है तथा इस भूमि मे जो बोरिंग है उसकें हिस्सा 1/2 की मालिक है इसलिये प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जावे।

दोनो प्रकरणो मे दोनो पक्षो के वकीलो की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। हाल रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी मे भूमि खसरा नं0 42 रकवा 0.35 हेक्टयर, 43 रकवा 0.24 हेक्टयर स्थित ग्राम तिघरिया तहसील टोडाभीम मे हिस्सा 1/2 की खातेदार समयकौर पत्नी राजेन्द्रसिंह है तथा हिस्सा 1/2 की खातेदार सी0ओ0 साहब, नरेश, भीम पुत्र मोहरसिंह, श्रीमति रत्तो देवी पत्नी मोहरसिंह हिस्सा 1/2 की खातेदार है इसलिये उक्त दोनो ही प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाते है तथा प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी श्रीमति समयकौर बनाम सी0ओ0साहब आदि मे अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नं0 42 रकवा 0.35 हेक्टयर, 43 रकवा 0.24 हेक्टयर स्थित ग्राम तिघरिया तहसील टोडाभीम मे हिस्सा 1/2 प्रार्थीया के कब्जे काश्त मे रूकावट पैदा नही करे तथा उक्त भूमि मे बोरिंग हिस्सा 1/2 मे उपयोग उपभोग मे रूकावट पैदा नही करे तथा प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी सी0ओ0साहब आदि बनाम राजेन्द्र आदि मे अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नं0 42 रकवा 0.35 हेक्टयर, 43 रकवा 0.24 हेक्टयर स्थित ग्राम तिघरिया तहसील टोडाभीम मे हिस्सा 1/2 प्रार्थीया के कब्जे काश्त मे रूकावट पैदा नही करे तथा उक्त भूमि मे बोरिंग हिस्सा 1/2 मे उपयोग उपभोग मे रूकावट पैदा नही करे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner